FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

गुमानाराम बनाम लिछमणराम वगैराह

किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं......106.... .सन्..2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	15.12.2020	

प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है वकील प्रार्थी का एक पक्षीय सुना गया और वकील प्रार्थी को भी सुना गया। वकील प्रार्थी के कथनानुसार विवादग्रस्त बगैर विभाजन के आराजी में प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा दखलन्दाजी करने का अंदेशा होने से अप्रार्थीगण को अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी तारिख पेशी दिनांक 15.01.2021 तक बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य कि जारी की जाती है कि मौजा दांतीणा के खेत ख.न. 662/213 रकबा 3. 0998 हैक्टयर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी, जबरन काश्त करने से किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने से, मौके पर स्थित माठो सीवो को खुर्द बुर्द करने से अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को आगामी पेशी 15.01. 2021 तक अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

नोटः–

1. उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा **DILRMP** के कार्य पर एवं
2. अन्तर्गत धारा 251, 251 अ एल.आर. एक्ट पर प्रभाती नहीं रहेगी।
3. उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 15.01.2021 तक ही प्रभावी रहेगी।

अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 15.01.2021 पेश हो।

सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

15/1/21 पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 20/4/21 को प्रस्तुत हो।

20/4 पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 6/7 को प्रस्तुत हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	106/2020	
22/9	गुमानाराम / निरमला -	
	वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी/प्रार्थी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उभय पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। इसलिए मैं इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। जरीये विड्रोल खारीज किया जावे।	गुमानाराम (हस्ताक्षर)
	अतः वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद प्रा. पत्र के जरीये विड्रोल खारिज किया जाता है तथा पत्रावली फैसल-शुमार होकर बाद तकमील दाखील दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	
	सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	